राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 93 / 2020

लीलाधर पुत्र गणपत राम जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 22–02–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 105 तथा ग्राम रोड़ासर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 44 व 71 में प्रार्थी का नाम लीलाराम पुत्र गणपत के स्थान पर लीलाधर पुत्र गणपतराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 71, 44 ग्राम रोड़ासर तथा नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 105 ग्राम तातीजा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम रोड़ासर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 71, 44 तथा राजस्व ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 105 में प्रार्थी का नाम लीलाराम पुत्र गणपत के स्थान पर लीलाधर पुत्र गणपतराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रोड़ासर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 71, 44 तथा राजस्व ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 105 में प्रार्थी का नाम लीलाराम पुत्र गणपत के स्थान पर लीलाधर पुत्र गणपतराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner